न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 68/2017

उनवान

देवा पिता संग्राम जाति रेबारी निवासी खेड़ा धाणी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) हुमाशंकर पिता डूँगर जाति रेबारी निवासी खेड़ा धाणी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(2) डूँगर पिता नाथा जाति रेबारी निवासी खेड़ा धाणी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 31/7/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि मौजा खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा की खाता संख्या 171 (नई) 153 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 381 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 5306/382 रकबा 0.04 हे0 कुल किता दो रकबा 0.12 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से जबरन् अतिक्रमण कर मकान बनाने आमादा होने पर वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री विरेन्द्रसिंह राव अभिभाषक का वकालातनाम पैश होने पर पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गई।

प्रकरण में प्रतिवादी अभिभाषक को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नही किये जाने के कारण दिनांक 30.5.2019 को प्रतिवादी का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रकरण में वादी की साक्ष्य के रूप में दिनांक 19.6.2019 को वादी श्री देवा पिता संग्राम जाति रेबारी की साक्ष्य का शपथ—पत्र पेश होकर वादी अभिभाषक द्वारा वादी की साक्ष्य बन्द करवाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ—पत्र का संक्षिप्त अवलोकन करने पर पाया गया कि मौजा खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा की खाता संख्या 171 (नया) 153 (पुराना) के सर्वे नम्बर 381 रकबा 0.08 हे0 किस्म—खालसा, सर्वे नम्बर 5306/382 रकबा 0.04 हे0 किस्म—खालसा कुल किता दो रकबा 0.12 हे0 भूमि का वादी खातेदार है। वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। जौ वादी के संवैधानिक अधिकारो के विपरित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा की खाता संख्या 171 (नया) 153 (पुराना) के सर्वे नम्बर 381 रकबा 0.08 हे0 किस्म—खालसा, सर्वे नम्बर 5306/382 रकबा 0.04 हे0 किस्म—खालसा कुल किता दो रकबा 0.12 हे0 भूमि में न तो अतिक्रमण करे एंव ना ही अतिक्रमण कर मकान बनावे तथा ना ही अपने किसी परिचित/रिश्तेदार से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाक प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा खेड़ा पटवार हल्का खेड़ा की खा संख्या 171 (नया) 153 (पुराना) के सर्वे नम्बर 381 रकबा 0.08 हे0 किस्म–खालसा, स नम्बर 5306/382 रकबा 0.04 हे0 किस्म–खालसा कुल किता दो रकबा 0.12 हे0 भूमि में तो अतिक्रमण करे एंव ना ही अतिक्रमण कर मकान बनावे तथा ना ही अपने कि परिचित/रिश्तेदार से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/7/2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा